बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

**पशुपालन निदेशालय**

विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15

हमारा बिहार

बिहार सरकार

**पत्रांक– 07 स्था0 (6) सेवान्त– 16/2023 ............................ / दिनांक– ......................../2025**

प्रेषक,

डॉ0 अरविन्द कुमार,

संयुक्त निदेशक (मु0)।

सेवा में,

निदेशक, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, बिहार, पटना।

सभी क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, बिहार।

परियोजना निदेशक, बी0एल0डी0ए0, पटना।

चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना।

सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार।

सहायक निदेशक, पशुपालन सूचना एवं प्रसार, पटना।

गोशाला विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना।

परियोजना पदाधिकारी, फ्रोजेन सीमेन बैंक, मुजफ्फरपुर/बांका/पूर्णियाँ।

सहायक निदेशक (कुक्कुट), क्षेत्रीय कुक्कुट प्रक्षेत्र, बेला, मुजफ्फरपुर/भागलपुर।

विशेष उप निदेशक (पशु विकास), फ्रोजेन सीमेन बैंक–सह– बुल स्टेशन, पटना।

सभी विशेष उप निदेशक (पशु विकास), वृहत पशु विकास परियोजना, बिहार।

सभी उप निदेशक (पशु विकास), मध्यम पशु विकास परियोजना, बिहार।

सभी सहायक निदेशक (पशु विकास), लघु पशु विकास परियोजना, बिहार।

मुख्य अनुदेशक, पशुपालन विद्यालय, डुमराँव, बक्सर।

प्रबंधक, हरियाणा पशु प्रजनन प्रक्षेत्र, डुमराँव, बक्सर।

विषय :– **सेवानिवृत होने वाले पदाधिकारियों/ कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र के साथ जाँच पत्रक भरकर महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने के संबंध में।**

प्रसंग :– **वित्त विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक– 873, दिनांक– 16.10.2025 एवं तत्क्रम में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक– 20335, दिनांक– 30.10.2025.**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों (छायाप्रति संलग्न) के माध्यम से संबंधित कार्यालय/ विभाग द्वारा महालेखाकर कार्यालय, बिहार, पटना को त्रुटिपूर्ण पेंशन प्रपत्र उपलब्ध कराने एवं सेवान्त लाभों के निष्पादन में अनावश्यक विलंब होने के कारण संलग्न जाँच पत्रक को पेंशन प्रपत्र के साथ भरकर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है।

अतएव अपने एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत सेवानिवृत होने वाले पदाधिकारियों/ कर्मचारियों से संबंधित पेंशन प्रपत्र वित्त विभाग द्वारा निर्गत जाँच पत्रक के साथ भरकर महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को प्रेषित करने हेतु संबंधित को निदेशित किया जाय।

अनुलग्नक– यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

संयुक्त निदेशक (मु0)।

**ज्ञापांक :–07 स्था0 (6) सेवान्त– 16/2023** 3976(नि.)/**पटना–15, दिनांक–**18/11/2025

**प्रतिलिपि** :–विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सभी संबंधितों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

18.11.25

संयुक्त निदेशक (मु0)।

(287)

पत्रांक–17/स्था0–03–26/2025, 20335/सा०प्र०

**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

सिद्धेश्वर चौधरी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त
पुलिस महानिदेशक
सभी आयोग (बिहार लोक सेवा आयोग को छोड़कर)
सभी निदेशालय/सभी अभियंता प्रमुख/सभी मुख्य अभियंता
सभी प्राधिकार कार्यालय, बिहार।

पटना–15, दिनांक–30.10/2025

विषयः– सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र के साथ जाँच पत्रक भरकर महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रसंग:– वित्त विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक–873 दिनांक–16.10.2025।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्रपत्र के साथ जाँच पत्रक भरकर महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ताकि सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के पेंशन प्राधिकार में अनावश्यक विलम्ब न हो सके।

उल्लेखनीय है कि बिहार सचिवालय सेवा संवर्ग के विभिन्न ग्रेड के पदाधिकारी विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदस्थापित/कार्यरत हैं।

बिहार सचिवालय सेवा नियमावली, 2010 की कंडिका–5(2) में प्रावधान है कि सेवा के किसी भी ग्रेड के सदस्य उस विभाग/कार्यालय के परिचालानात्मक नियंत्रण में होंगे, जिसमें वे पदस्थापित होंगे एवं उनके सेवांत लाभों की स्वीकृति एवं भुगतान उस विभाग/कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

अतः वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि अपने अधीनस्थ बिहार सचिवालय सेवा के सभी ग्रेड के सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों से संबंधित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने एवं कृत कार्रवाई से सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
30/10/2025
(सिद्धेश्वर चौधरी)
सरकार के अवर सचिव।

D:/Anish Document/Anumodan/Anumodan hetu prarup 2025.docx [152]

E-MAIL

पत्र संख्या-वि0(27) पे0को0-58/2024- /वि0,

**बिहार सरकार**

**वित्त विभाग**

प्रेषक,

जय सिंह,
सचिव(सं0) ।

सेवा में,

सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/
सभी सचिव/विभागाध्यक्ष/प्रमंडलीय आयुक्त/
सभी जिला पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, बिहार ।

पटना,दिनांक

विषय :- सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के पेंशन प्रपत्र के साथ जाँच पत्रक भरकर महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को प्राप्त त्रुटिपूर्ण पेंशन प्रपत्र के मामलों को संबंधित कार्यालय/विभाग को वापस कर दिया जाता है । इस कारण सेवान्त लाभों के निष्पादन में अनावश्यक विलम्ब होता है । महालेखाकार कार्यालय के अनुरोध पर इस बिन्दु पर कार्रवाई हेतु सभी विभागों/कार्यालयों का ध्यान आकृष्ट किया गया है तथापि त्रुटिपूर्ण पेंशन प्रपत्र को वापस किये जाने के मामले अभी भी दृष्टिगत हो रहे है ।

2.महालेखाकार कार्यालय को प्राप्त होने वाले पेंशन प्रपत्र में त्रुटियों के निराकरण हेतु एक जाँच पत्रक निर्गत किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, ताकि सेवानिवृत्त होने वाले पदाधिकारियों/कर्मियों के पेंशन प्राधिकार में अनावश्यक विलम्ब न हो सके । इस हेतु एक जाँच पत्रक तैयार किया गया है, जिसे भरकर अनिवार्य रूप से पेंशन प्रपत्र के साथ संलग्न कर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित किया जाना है ।

3.अतः अनुरोध है कि संलग्न जाँच पत्रक को पेंशन प्रपत्र के साथ भरकर महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयों को आवश्यक निदेश देने की कृपा की जाय ।

अनुलग्नक : यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(जय सिंह)
सचिव(सं0) ।

...........2.

ज्ञापांक- /वि0, पटना,दिनांक

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार, महालेखाकार(लेखा एवं हक0) का कार्यालय बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

ह0/-

(जय सिंह)

सचिव(सं0) ।

ज्ञापांक- 873(पं0) /वि0, पटना,दिनांक 16-10-2025

प्रतिलिपि : सचिव, बिहार विधान सभा/परिषद्, पटना/ महानिबंधक, पटना उच्च न्यायालय, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग/ सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

16/10/25

(जय सिंह)

सचिव(सं0) ।

16.10.25

## महालेखाकार कार्यालय को पेंशन प्रपत्र के साथ प्रेषित किया जाने वाला जाँच पत्रक

| | | |
|---|---|---|
| 1. | कर्मी/पदाधिकारी का नाम | |
| 2. | पदनाम | |
| 3. | अंतिम पदस्थापन स्थल(कार्यालय/विभाग) | |
| 4. | नियुक्ति की तिथि | |
| 5. | सेवानिवृति की तिथि | |
| 6. | कुल सेवावधि | |
| 7. | पेंशन प्रदायी सेवावधि | |
| 8. | अंतिम मूल वेतन | |
| 9. | अंतिम 10 माह का औसत वेतन | |
| 10. | सेवानिवृति के ठीक पूर्व के वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में वेतन सत्यापन की स्थिति | |
| 11. | अंतिम वेतन सत्यापन से सेवानिवृति की तिथि तक वेतन की शुद्धता की जाँच की स्थिति | |
| 12. | सेवा संपुष्टि की स्थिति | |
| 13. | कार्यालय अभिलेख/वेतन विपत्र के आधार पर सेवा सत्यापन/निरंतरता की स्थिति | |
| 14. | विभागीय अथवा अन्य विहित परीक्षा उत्तीर्णता की स्थिति | |
| 15. | सेवानिवृति की तिथि को विभागीय/न्यायिक कार्यवाही की स्थिति | |
| 16. | पेंशन प्रपत्र के सभी कंडिकाएँ(विशेषतः पारिवारिक विवरण, मोबाईल नं0/यूनिक आई0डी0, रूपांतरण विकल्प इत्यादि) भरित है अथवा नहीं | |
| 17 | LPC/No Dues Certificate संलग्न है अथवा नहीं | |
| 18. | अन्य कोई अभ्युक्ति | |

पेंशन स्वीकृति प्राधिकार का हस्ताक्षर/मुहर